(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 2134-दो/2013 निगरानी - विरूद्व आदेश दिनांक 31-3-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 367/2008-09 निगरानी

फजल मोहम्मद पुत्र स्व. फते मोहम्मद
ग्राम कोटहा (आजाद गली नं. 4)
तहसील गोपदबनास जिला सीधी ---आवेदक

विरूद्व

1- यदुनन्दन सिंह पुत्र स्व.हरिवॅश सिंह
2- जुगुलकिशोर सिंह पुत्र स्व.जयनारायण सिंह
3- त्रिवेणीसिंह पुत्र स्व. जयनारायण सिंह
4- सुरेश प्रताप सिंह पुत्र स्व.दधीचरण सिंह

(मृतक वारिस)

1. श्रीमती प्रेमा सिंह पत्नि स्व.सुरेश प्रताप
2. श्रीमती सकुन्तला पत्नि मणिराज सिंह
ग्राम बड़ा टीकठ तहसील चुरहट जिला सीधी
3. श्रीमती रेखा पत्नि भवरलाल सिंह ग्राम लोरी
तहसील सिरमौर जिला रीवा
4. श्रीमती गीता पत्नि राजेश सिंह ग्राम हिनोती
तहसील त्योंथर जिला रीवा
5. श्रीमती शीला पत्नि सुरेशप्रताप सिंह
ग्राम हितौनी तहसील त्योंथर जिला रीवा
6. धीरेशप्रताप पुत्र सुरेश सिंह उर्फ सुरेशप्रताप सिंह
7. अनिलकुमार पुत्र सुरेश सिंह उर्फ सुरेशप्रताप सिंह
8. श्रवणकुमार पुत्र सुरेश सिंह उर्फ सुरेशप्रताप सिंह
9. कुशल सिंह पुत्र सुरेश सिंह उर्फ सुरेशप्रताप सिंह

10-आशुतोष पुत्र पुत्र सुरेश सिंह उर्फ सुरेशप्रताप सिंह
सभी निवासीगण ग्राम डेम्हा तहसील गोपदबनाम
जिला सीधी मध्य प्रदेश
5-सजन सिंह पुत्र दधीचरण सिंह
6-सुखेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र स्व.मथुरा सिंह
7-बृजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व.मथुरा सिंह
8- शिवेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र स्व.मथुरा सिंह
सभी ग्राम कोतरकला (गांधी चौक सीधी)
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अमरेश अग्निहोत्री)

आ दे श
(आज दिनांक 02-05-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 367/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-03-2015 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि यह कि आवेदक ने नजूल तहसीलदार सीधी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शहर सीधी स्थित प्लाट कमांक 282 क्षेत्रफल 19: 6" X 19: 2" स्थाई लीज पर दिये जाने की मांग की, जिस पर तहसीलदार नजूल सीधी ने प्रकरण कमांक 108 अ-20(1)/1990-91 पंजीबद्व किया । अनावेदकगण प्रकरण में आपत्तिकर्ता है। तहसीलदार नजूल के समक्ष मूल आवेदन में सॅशोधन किये जाने हेतु प्रथक से आवेदन आने पर तहसीलदार नजूल ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनॉक 20-11-2007 पारित किया तथा सॅशोधन आवेदन मान्य कर लिया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 56/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 8-5-2009 से निगरानी स्वीकार करके तहसीलदार नजूल के

अंतरिम आदेश दिनॉक 20-11-2007 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 367/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-03-2015 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो की ग्राह्यता एंव प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार सीधी का अंतरिम आदेश है जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर सीधी ने निगरानी प्रकरण कमांक 56/2008-09 में पारित आदेश दिनॉक 8-5-2009 से निगरानी स्वीकार करके तहसीलदार नजूल के अंतरिम आदेश दिनॉक 20-11-2007 को निरस्त किया है एंव निगरानी आदेश के विरूद्ध द्वित्तीय निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत हुई है जिसे अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 31-03-2015 से निरस्त किया है इसलिये म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण योग्य है ।

5/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव मूल न्यायालय तहसीलदार नजूल सीधी के प्रकरण कमांक 108 अ-20(1)/1990-91 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार के समक्ष प्रकरण शहर सीधी स्थित प्लाट कमांक 282 क्षेत्रफल 19: 6" X 19: 2" को स्थाई लीज पर दिये जाने की मांग पर से मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-एक के अंतर्गत पॅजीबद्ध होकर विचार में लिया गया है एंव सॅशोधन आवेदन का निराकरण भी इन्हीं नियमों के अधीन अंतरिम आदेश दिनॉक 20-11-2007 से निराकृत किया गया है। नजूल भूमि के स्थाई लीज वावत् पटटे की मांग के प्रकरण पर राजस्व मण्डल को सुनवाई के अधिकार हैं अथवा नहीं - पर विचार किया गया। राजस्व पुस्तक

परिपत्र खण्ड चार- क्रमांक-1 के अंतर्गत नजूल भूमियों के सम्बन्ध में शासकीय अनुदेश प्रसारित है और इन्हीं नियमों के अंतर्गत नजूल पट्टों की लीज एंव नवीनीकरण कार्यवाही होती है । इन नियमों के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध कंडका 18 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है:-

कंडिका 18 - अभ्यावेदन - Reoresentation

1. नजूल अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को,
2. कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त को,
3. आयुक्त द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को।

स्पष्ट है कि आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रस्तुत होगा , जिसके कारण विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन-योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन-योग्य नहीं पाये जाने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर